न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 133/20 दायरा दिनांक :–21.10.2020 निर्णय दिनांक :– 12.04.2021

1. मामचन्द पुत्र बसन्ता जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र श्री ख्याली जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
3. श्रीमान बैंक मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........असल प्रतिवादीगण

4. राजबाला पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
5. किशोरी पुत्र श्री भौरेलाल जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
6. लेखराम पुत्र श्री रूडिया जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
7. गिन्दो पत्नी श्री रूडिया जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
8. मनोहर पुत्र श्री बसन्ता जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
9. चुन्ना पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
10. संतोष देवी पत्नी श्री चुन्नाराम जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
11. शेरसिंह पुत्र श्री दौलाराम जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
12. संतोष पत्नी श्री शीशराम जाति जाट निवासी कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
13. भुतेरी पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी कालीपहाडी तहसील [illegible] जिला अलवर, राजस्थान।
14. जयप्रकाश पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी पलड़ा तहसील गुडगांवा [illegible]।

..........[illegible]वादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 [illegible]
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री गंगाराम पटेल– वकील वादीगण

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

दिनांक :– 12.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 111/1.23, 112/1.39 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी में रोशन पुत्र भौरेलाल का 1/16 हिस्सा व रामावतार पुत्र रामकुंवार का 1/24 हिस्सा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसे उक्त हिस्से को उन्होंने जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द को 10/96 हिस्सा का बेचान कर दिया और जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी दुलीचन्द के नाम इन्तकाल दर्ज व मंजूर हो गया और प्रतिवादी दुलीचन्द उक्त विवादित आराजी में 10/96 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गया जो चालाक किस्म का आदमी है एवम राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर जमाबंदी संवत 2059–62 ने अपना हिस्सा जो 10/96 था उसके स्थान पर 40/96 हिस्सा दर्ज करा लिया जो कानून और मौके के खिलाफ कराया है एवम मिनवादी और तरतीबी प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ है, प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द ने अपना 10/96 हिस्सा तरप्रतिवादी जयप्रकाश को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दी और बेचान के आधार पर इन्तकाल तर प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम मंजूर हो गया। इसलिए उक्त विवादित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द का कोई हिस्सा शेष नहीं है और गलत अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का 30/96 का रिकॉर्ड शेष रहा है उसे वादी और तरतीबी प्रतिवादीगण दुरूस्त कराकर प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के नाम को हजफ कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विवादित आराजी में गलत अमल के आधार पर जानकारी होते हुए उक्त विवादित आराजी में शेष रहे हिस्सा 30/96 के बाबत फर्जी तरीके से कागजात तैयार कराकर प्रतिवादी संख्या 3 से ऋण प्राप्त किया है। उक्त ऋण को चुकाने का अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार से विवादित आराजी के 30/96 हिस्सा जो गलत दर्ज हुआ है, प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आदि–आदि का निवेदन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि उपरोक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के नाम दर्ज हो रहे 30/96 भाग के बाबत को हजफ किया जावे एवम असल प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे एवम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के रहन आदेश को फक करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया जावे आदि–आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तलबी तरतीबी प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर इकबाल जवाब दावा पेश हुआ। मुताबिक इकबाल जवाब वादी के वाद को डिक्री फरमा दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है एवम प्रतिवादीगण असल को बार–बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने उपरांत जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब दावे [illegible]

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल [illegible] नंबर 5341 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2055 प्रदर्श–2, नकल [illegible] प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत [illegible] किता 2 [illegible]–5,6 नकल जमाबदी सवत 2063–66 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत [illegible] जमाबंदी संवत 2071–74 किता 2 प्रदर्श–7,8 पेश किये [illegible] मामचन्द पी डब्ल्यू–1, रोहिताश पी डब्ल्यू–2, शेरसिंह पी डब्ल्यू–3 [illegible] पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात में से रोशन पुत्र भौरेलाल के 1/16 हिस्सा एवम रामावतार पुत्र रामकुंवार के 1/24 हिस्से आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

बैयनामा खरीद की जो विवादित आराजी का 10/96 हिस्सा रहा है तथा रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर दुलीचन्द के नाम इन्तकाल दर्ज व मंजूर हो गया था लेकिन जमाबंदी संवत 2059–62 में चौसाला के दौरान हिस्सा 40/96 अंकन हो गया तथा प्रतिवादी दुलीचन्द ने अपने 10/96 हिस्से को तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 को बेचान किया है जिसका मुताबिक बैयनामा के इन्तकाल दर्ज व तस्दीक हो चुका है लेकिन अब भी प्रतिवादी दुलीचन्द के नाम विवादित आराजी का 30/96 हिस्सा रिकॉर्ड में शेष है बच रहा है जो गलत है। बल्कि उपरोक्तानुसार दुलीचन्द का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है जिसक बाबत तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है एवम वाद के बाबत वादी द्वारा रिकॉर्डेड साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श–1 लगायत 8 एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पी डब्ल्यू–1,2,3 प्रस्तुत किये जाकर शामिल पत्रावली है एवम उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है आदि–आदि अभिकथन करते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत वादी द्वारा अपने वाद पत्र को पूर्ण रूपेण साबित कर दिये जाने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर विवादित आराजी ख0न0 111/1.23, 112/1.39 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवम 30/96 भाग के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा असल प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की विवादित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत) 12/4/21
सहायक कलेक्टर, मुण्डावर

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

यह निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत) 12/4/21
सहायक कलेक्टर, मुण्डावर

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat (रामसिंह राजावत)
Date: 2021.07.29 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 133/20 दायरा दिनांक :—21.10.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 12.04.2021

1. मामचन्द पुत्र बसन्ता जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

.................वादी

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र श्री ख्याली जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
3. श्रीमान बैंक मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........असल प्रतिवादीगण

4. राजबाला पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
5. किशोरी पुत्र श्री भौरेलाल जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
6. लेखराम पुत्र श्री रूडिया जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
7. गिन्दो पत्नी श्री रूडिया जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
8. मनोहर पुत्र श्री बसन्ता जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
9. चुन्ना पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
10. संतोष देवी पत्नी श्री चुन्नाराम जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
11. शेरसिंह पुत्र श्री दौलाराम जाति जाट निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
12. संतोष पत्नी श्री शीशराम जाति जाट निवासी कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
13. भुतेरी पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
14. जयप्रकाश पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी पलडा तहसील गुडगांवा हरियाणा।

..........तर प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री गंगाराम पटेल** एडवोकेट की उपस्थिति [illegible] प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.04.2021** को श्री [illegible] **मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया [illegible] डिक्री दी जाती है:—

वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर विवादित आराजी ख0न0 111/1.23, 112/1.39 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवम 30/96 भाग के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा असल प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की विवादित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12/4/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested